कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/09/2022/3848 दिनांक :23/08/2023

–:: आदेश ::–

इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित **श्री गोपाल लाल मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी** न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–04, जयपुर महानगर–द्वितीय **व श्री राजू वर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी**, अपर सेशन न्यायाधीश, सती निवारण प्रकरण, जयपुर महानगर–द्वितीय को इनसे कनिष्ठतम कर्मचारी की दिनांक 23.06.2022 से पदोन्नति होने के क्रम में उक्त दोनों कर्मचारीगण क्रमशः श्री गोपाल लाल मीणा व श्री राजू वर्मा को दिनांक 23.06.2022 से **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से तामील कुनिन्दा के पद पर** वरीयता सह् उपयुक्तता के आधार पर तुरन्त प्रभाव से अस्थाई रूप से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के तहत पे लेवल एल–04 (पूर्व वेतनमान में ग्रेड पे–2000/–) के अन्तर्गत नियमानुसार देय वेतन–भत्तों पर विभागीय पदोन्नति सह्–प्रशासनिक समिति की अनुशंषा के आधार पर **एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है।**

श्री गोपाल लाल मीणा की उपरोक्त पदोन्नति के तहत **वरिष्ठता** इस कार्यालय द्वारा जारी तामील कुनिन्दा की स्थाई वरीयता सूची, जो जरिये आदेश क्रमांक 3346 दिनांकित 28.07.2023 के द्वारा जारी की गई है, में क्रम सं. 41 पर उल्लेखित श्री राजू लाल मीणा व 42 पर उल्लेखित श्री अर्जुन लाल मीणा के मध्य निर्धारित की जाती है एवं **श्री राजू वर्मा** की वरिष्ठता उक्तानुसार पदोन्नत हुए श्री गोपाल लाल मीणा की निर्धारित की गई वरिष्ठता के अनुसार उनके नाम के पश्चात् व श्री अर्जुन लाल मीणा से पूर्व निर्धारित की जाती है।

नोट :–

1. उपरोक्त दोनों कर्मचारीगण को उपरोक्तानुसार पदोन्नति से संबंधित वित्तीय लाभ उक्त पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की दिनांक से एवं राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांकित 16.03.2023 के अनुसार तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक रूप से देय होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय/देय होंगें, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिये कोई बकाया संदत्त नहीं किया जावेगा।
2. उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण के सेवा–रोल में किया जावे।

Sd/-
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/09/2022/3849 दिनांक :23/08/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय।
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय ....
04. संबंधित कर्मचारी ....
05. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. निजी पत्रावली
07. आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय